राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

विधि–60–75 / 2026
(C.W.J.C. No.8867/2026)
सीता राम मण्डल एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य।

–: तार्किक आदेश :–

वाद संख्या–विधि 60–75 / 2026 / .... पटना, दिनांक–.................................

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद–C.W.J.C. No- 8867/2026, सीता राम मण्डल एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार में **दिनांक–29.06.2026** को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये न्यायनिर्णय का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"3. At the outset learned Counsel for the petitioners submits that the petitioners have filed a representation before the Secretary, State Election Commission, Bihar, Patna(respondent no.3) as also the District Magistrate-Cum-District Election Officer, Samastipur (respondent no. 4) and thus the instant application be disposed of directing the respondent concerned to decide the representation of the petitioners pending before them at the earliest.

4. Having heard learned counsel for the parties, the instant writ application is disposed of directing the petitioners to file a representation along with a copy of this order before the respondent nos. 3 and 4 within a period of four weeks.

5. On filing of the same, the respondent nos. 3 ad 4 shall decide the representation of the petitioners in accordance with law at the earliest preferably within a period of four weeks from the date of its filing and communicate the result thereof to the petitioners forthwith.

6. It is made clear that the Court has not entered into the merits of the case of the petitioners which is to be decided by the respondent concerned."

2. उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये उक्त निर्णय के आलोक में दिनांक– 22.07.2026 को आयोग में दिये गये Representation पर आयोग में सुनवाई दिनांक–06.08.2026 को की गई, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में नैसर्गिक न्याय के नियम का अनुपालन करते हुये, श्री सीताराम मण्डल (वादी) को अपना पक्ष रखने हेतु पूर्ण अवसर प्रदान किया गया। वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री विजय आनन्द द्वारा पक्ष रखा गया। जिला प्रशासन की तरफ से श्री विष्णुदेव मण्डल, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर को अभिलेखों का सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी का सीमित अनुरोध है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि खानपुर प्रखण्ड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या–08 श्रीपुर गाहर पूर्वी की कुल घोषित आबादी 14,543 है, जिससे दो पंचायतों का निर्माण निर्धारित मापदंड के अनुसार किया जा सकता है, परन्तु अबतक उक्त पंचायत को दो भागों में विभक्त नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त पंचायत के सभी आबादी को समान रूप से लाभ नहीं मिल पा रहा है।

उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि हथौड़ी रोसड़ा पथ संख्या–10 उक्त पंचायत को दो भागों में विभक्त करता है, जिससे एक क्षेत्र की आबादी 6,942 एवं दूसरे क्षेत्र की आबादी 7,601 होती है। प्रथम क्षेत्र में वार्ड संख्या–07 तथा वार्ड संख्या–09 से 16 समाहित है, जबकि दूसरे क्षेत्र में वार्ड संख्या–01 से 06, वार्ड संख्या–08 तथा वार्ड संख्या–17 से 19 समाहित है। उनके द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि हथौड़ी रोसड़ा पथ संख्या–10 के पूर्वी भाग में स्थित पंचायत का नाम श्रीपुरगाहर पूर्वी यथावत रखी जाए, जबकि उक्त पथ के पश्चिम भाग में स्थित पंचायत का नाम श्रीपुरगाहर मध्य रख दिया जाए।

4. जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी श्री विष्णुदेव मण्डल, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या संबंधी आँकड़े तथ्यतः सही है।

5. आयोग द्वारा वादी द्वारा दायर Representation, माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 के संगत प्रावधानों के साथ–साथ वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का परीशीलन किया गया, तो यह पाया गया कि

(i) **वादी का अनुरोध पंचायत के परिसीमन/पुनर्गठन से संबंधित है।**

(ii) **बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–11(1) के तहत परिसीमन/पुनर्गठन का आदेश (सामान्य अथवा विशेष) निर्गत करने की शक्ति केवल और केवल राज्य सरकार में निहित है।**

(iii) **माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश की कंडिका–06 में माननीय न्यायालय द्वारा वादी के द्वारा उठाये गये, मामले के गुणावगुण (Merit) पर कोई टिप्पणी या विशेष आदेश पारित नहीं किया गया है।**

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–10744, दिनांक–20.07.2026 द्वारा वर्ष–2011 की जनगणना की आधार पर ग्राम पंचायत क्षेत्रों का गठन/परिसीमन का निर्णय संसूचित किया गया है, जिसके आलोक में उक्त विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या–10745, दिनांक–20.07.2026 के कंडिका–01 में यह आदेश दिया गया है कि जिला दंडाधिकारी प्रत्येक प्रखण्ड में अवस्थित ग्रामों के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त के सामान्य अथवा विशेष आदेश, निदेश एवं अनुदेश तथा निदेशन एवं पर्यवेक्षण में ग्राम पंचायत क्षेत्र के गठन की घोषणा करेगें। इसके अतिरिक्त कुल 12 अन्य आदेश/निदेश उक्त अधिसूचना में अधिसूचित किया गया है।

प्रथम दृष्ट्या वादी का अनुरोध उनके ग्राम विशेष के संदर्भ में उचित प्रतीत हो सकता है, परन्तु ग्राम पंचायतों का गठन राजस्व ग्राम के अनुसार वर्ष–2011 के जनगणना को आधार मानते हुए तथा प्रखण्ड को इकाई के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए, करना है, न कि ग्राम पंचायत की जनसंख्या या क्षेत्र को इकाई मानते हुए।

उक्त वर्णित स्थिति में वादी के अनुरोध को हू–ब–हू स्वीकार करना संभव प्रतीत नहीं होता, या ऐसा आश्वासन भी नहीं दिया जा सकता, जिससे की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड को पूरा किये बिना उनके अनुरोध के आधार पर हू–ब–हू पंचायत का गठन कर दिया जायेगा। उक्त के बावजूद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में जिला दंडाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को यह निदेश दिया जाता है कि सरकार द्वारा

अधिसूचित अधिसूचना संख्या–10745, दिनांक–20.07.2026 में वर्णित प्रावधानों के अधीन वादी के अनुरोध को यथाशक्य समाहित करते हुए, परिसीमन किया जाए, परन्तु इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जाए कि उक्त अधिसूचना के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होने पाये। जिला दंडाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को यह भी निदेशित किया जाता है कि इस आदेश के आलोक में की गयी कार्रवाई से आयोग एवं आवेदक को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश के साथ दायर Representation को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाए।
अधोहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ0 दीपक प्रसाद)
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार, पटना।
20.08.2026

ह0/–
(डॉ0 दीपक प्रसाद)
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार, पटना।
20.08.2026

वाद संख्या–विधि 60–75/2026/.................. पटना, दिनांक–..................................

प्रतिलिपि–सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

वाद संख्या–विधि 60–75/2026/3416 पटना, दिनांक–20.8.26

प्रतिलिपि–जिला दंडाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, **समस्तीपुर**/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, **समस्तीपुर** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायती राज पदाधिकारी, **समस्तीपुर** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त